



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उपग्रह सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

GSTN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स (जी.एस.टी. सेल) Corporate Tax (GST Cell)

कक्ष संख्या- 320, तृतीय तल, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001, ई-मेल- tax@uppcl.org

पत्र सं०: I/29660/2025/का० टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल

दिनांक: 03-11-2025

ई-मेल द्वारा

दिशा-निर्देश सं०: 35 /का०टैक्स एवं जी०एस०टी० सेल/2025

विषय:- वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित 56वीं जी०एस०टी० परिषद की बैठक में किये गये संशोधनों के अनुपालन में वस्तुओं/सेवाओं की दरों में परिवर्तन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

उक्त विषयक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की जी०एस०टी० अधिसूचना सं० 15/2025-Central Tax (Rate) दिनांक 17.09.2025 का संन्दर्भ ग्रहण करें, जी०एस०टी० परिषद की 56वीं बैठक में वस्तुओं/सेवाओं की दरों में परिवर्तन किये गये हैं। कृपया निम्नलिखित नवीनतम दरों के अनुसार अनुपालन करना सुनिश्चित करें:-

HSN/SAC Code	Name of Goods/ Services	Old Rate	Revised Rate	Conditions/ Remarks
996311	गेस्ट हाउस प्राप्तियां (Guest House Receipts)	12%	18%	समस्त प्राप्तियों पर 18% जी०एस०टी० लागू होगा।
491110	निविदा शुल्क (Tender Fee Physical)	12%	18%	भौतिक (Physical) प्रिंट कॉपी में- जी०एस०टी० दर: 18%
998431	निविदा शुल्क (Tender Fee Online)	18%	18%	भौतिक (Online) प्रिंट कॉपी में- जी०एस०टी० दर: 18%
996412	वाहन किराया सेवा (Vehicle Rental Service)- (क) चालक सहित, बिना पेट्रोल	18%	18%	जी०एस०टी० दर: 18%
	वाहन किराया सेवा (Vehicle Rental Service)- (ख) चालक सहित, पेट्रोल सहित	12%	5%	जी०एस०टी० दर: 5%
996511	जी.टी.ए. सेवाएं (Goods Transport Agency) With ITC	18%	18%	आर.सी.एम./एफ.सी.एम. के अंतर्गत 18% (आईटीसी के साथ)
	जी.टी.ए. सेवाएं (Goods Transport Agency) Without ITC	12%	5%	(वस्तु परिवहन सेवाएं) जी०एस०टी० दर: 5% (आईटीसी के बिना)

उपरोक्त दरें दिनांक 22.09.2025 से प्रभावी है। अतः सभी इकाईयों को निर्देशित किया जाता है कि वे अद्यतन जी0एस0टी0 दरों के अनुसार ही SAP पर बिलिंग एवं लेखा प्रविष्टियां किया जाना सुनिश्चित करें।

(नितिन निझावन)
उपमहाप्रबन्धक (टैक्स)

दिशा-निर्देश सं0: /का0टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य)/कारपोरेट प्लानिंग/वितरण/वित्त/का0प्र0 एवं प्रशा0 उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा, उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), केस्को कानपुर।
4. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ के अपने अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करने की कृपा करें।
5. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/कारपोरेट लेखा) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
7. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. अनुसचिव (स0 प्र0 लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पी0एम0यू0/वेतन एवं लेखा, उ0प्र0 पा0 का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, रूम नं0 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(नितिन निझावन)
उपमहाप्रबन्धक (टैक्स)